FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

2022/208

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

**(प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021)**

**"फॉलोअप शिविर"**

पीठासीन अधिकारी :– जयसिंह आर.ए.एस.

मिसल नम्बरः–179 / 2022

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

लोकेश पुत्र अन्तर सिंह जरिये माता कलावती पत्नि अन्तर सिंह जाति जाट निवासी मान्दरी तह0 खेतड़ी

**बनाम**

**राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.05.22 | आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं ने कैम्प–मान्दरी में उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 90 दिनांक 27.05.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।<br><br>–:आदेशः–<br><br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **रोजड़ा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 हाल खाता संख्या 202 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि विवेक पुत्र अन्तर सिंह के स्थान पर **लोकेश पुत्र अन्तर सिंह** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>आदेश आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 फॉलोअप कैम्प–मान्दरी में दिनांक 27.05.2022 को खुले शिविर में सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Jai Singh<br>Date: 2022.10.21 12:45:02 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(जयसिंह)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>खेतड़ी | |